

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उज्जैन (म.प्र.)

19/7/2019

प्रश्न सं. [क. 2091]

विषय: पर्यवेक्षक प्रो. शिक्षा सं. शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर संश्लिष्टान किये गये लोक संरक्ष

तारांकित - 2091

क्र	नाम	पद
1	श्री आर.सी.मेहता	पर्यवेक्षक
2	श्री एल.सी.तिवारी	पर्यवेक्षक
3	श्री आर.सी.जैन	पर्यवेक्षक
4	श्री आर.सी.मंदोरिया	पर्यवेक्षक
5	श्री पी.सी.अकोदिया	पर्यवेक्षक
6	श्री व्ही.एन.पटेल	पर्यवेक्षक
7	श्री जी.एम.तिलवे	पर्यवेक्षक
8	श्री प्रवीण पण्ड्या	पर्यवेक्षक
9	श्री प्रवीण सिंह	पर्यवेक्षक
10	श्री एम.एस.पुरोहित	पर्यवेक्षक
11	श्री महेश पंडारकर	पर्यवेक्षक
12	श्री जे.सी.शर्मा	पर्यवेक्षक
13	श्री पी.एल.मिहकिया	पर्यवेक्षक
14	श्री रतनलाल राठौर	पर्यवेक्षक
15	श्री आर.सी.विश्वकर्मा	पर्यवेक्षक

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला उज्जैन

अनुमति अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-2)
मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक 10.07.2019

बर्ग 05

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 19.07.2019

विभाग का नाम स्कूल शिक्षा

विषय -


प्रौढ़ शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग में किये गये राविलियन के सवध में।


तारांकित प्रश्न क्रमांक-2091

श्री रामलाल मालवीय,

स. क्र.	नाम शिक्षक, पदनाम व संस्था एवं संकुल का नाम	न्यायालयी न प्रकरण क्रमांक	स्थगन दिनांक	वेतन भत्ते का भुगतान किया गया या नहीं।	रिमाक
1	2	3	4	5	6
1	श्री रामलाल राटौर, शिक्षक शारा.मा.वि.शामवासा जि.उज्जैन संकुल-शारा. कन्या उ.मा.वि. विजयाराजे, उज्जैन।	WP/ 3235/14	28.04.14	स्थगन के कारण 62वर्ष आयु तक अर्थात् 30.06.16 तक कार्य किया, इस कारण वेतन भत्तों का भुगतान किया गया है। तथा पेंशनरी स्वत्वों का निराकरण भी 62वर्ष आयु के मान से किया गया है।	अंतिम निर्णय दिनांक 08.05.2014 से.नि.दि. 30.08.14 (60वर्ष अनुसार)
2	श्री विक्रमसिंह पटेल, प्र.अ.शास्. मा.वि.मराठी, राखीपुरा, उज्जैन। संकुल-शासकीय उ.मा.वि. नाववर्गज, उज्जैन	WP/ 5969/17	13.09.17	स्थगन के कारण मृत्यु दिनांक 18.01.2018 तक के वेतन भत्तों का भुगतान किया गया है। किन्तु पेंशनरी स्वत्वों का निराकरण 62वर्ष आयु के मान से किया गया है।	अंतिम निर्णय दिनांक 30.11.2018 से.नि.दि. 30.09.2017 (60वर्ष अनुसार) मृत्यु दि. 18.01.2018
3	श्री जगदीशचन्द्र शर्मा, प्र.अ.शा. मा.वि.ढाबला हर्दू तह.तराना संकुल-शासकीय उ.मा.वि. ढाबला हर्दू तह.तराना	WP/ 7644/16	स्थगन नहीं मिला	वार्षिक कायरेत अर्थात् दि.31.08.2016 तक के वेतन भत्तों का भुगतान किया गया है। किन्तु पेंशनरी स्वत्वों का निराकरण 62वर्ष आयु के मान से किया गया है।	अंतिम निर्णय दिनांक 17.05.2017 से.नि.दि. 31.12.2015 (60वर्ष अनुसार)
4	श्री गोपीलाल हिलवे, प्र.अ. शासकीय मा.वि.शकरवासा, संकुल-शासकीय उ.मा.वि. सिधी कॉलोनी, उज्जैन।	WP/ 7459/16	09.11.16	स्थगन के कारण 62वर्ष आयु तक अर्थात् 30.11.18 तक कार्य किया, इस कारण वेतन भत्तों का भुगतान किया गया है। तथा पेंशनरी स्वत्वों का निराकरण भी 62वर्ष आयु के मान से किया गया है।	अंतिम निर्णय दिनांक विचाराधीन है। से.नि.दि. 30.11.16 (60वर्ष अनुसार)

उज्जैन,
दिनांक / 28.06.2019


जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश


जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश